रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072024-255070
CG-DL-E-02072024-255070

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, रविवार, जून 30, 2024/आषाढ 9, 1946
No. 171] NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 30, 2024/ASHADHA 9, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2024

मामला सं - एडी (ओआई) - 12/2024

विषय : चीन जन. गण. के मूल अथवा वहां से निर्यातित "टी-शेप्ड एलीवेटर / लिफ्ट गाइड रेल और काउंटर वेट गाइड रेल्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा.सं. 6/14/2024-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे नियमावली या एडी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, सवेरा इंडिया राइडिंग सिस्टम्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे याचिकाकर्ता या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टी-शेप्ड एलीवेटर / लिफ्ट गाइड रेल और काउंटर वेट गाइड रेल्स (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है और उसने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ***टी-शेप्ड एलीवेटर / लिफ्ट गाइड रेल और काउंटर वेट गाइड रेल्स*** है जिसे लिफ्ट गाइड रेल्स के रूप में भी जाना जाता है। लिफ्ट गाइड रेल दो प्रकार कर अर्थात सॉलिट गाइड रेल और होलो गाइड रेल होती हैं। सॉलिड गाइड रेल मशीन द्वारा या टी-प्रोफाइल की कोल्ड ड्राइंग द्वारा विनिर्मित टी-शेप्ड गाइड रेल होती हैं और इनका प्रयोग कार गाइड रेल अनुप्रयोगों और काउंटर वेट / बैलेंसिंग वेट गाइड रेल अनुप्रयोगों के लिए होता है। होलो गाइड रेल निर्मित शीट मेटल से बनती है और खुली प्रोफाइल या बंद प्रोफाइल हो सकती है और इसका प्रयोग काउंटर वेट / बैलेंसिंग वेट गाइड रेल अनुप्रयोगों में होता है। पीयूसी एलीवेटेड कार और काउंटर वेट / बैलेंसिंग वेट की सुचारू और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक गाइडिंग संरचना प्रदान करता है।

4. पीयूसी के दायरे में निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्रकार और आयामों की "टी-शेप्ड एलीवेटर / लिफ्ट गाइड रेल और काउंटर वेट गाइड रेल्स" रेल शामिल हैं:

i. **कोल्ड ड्रॉन गाइड रेल:** इन सॉलिड गाइड रेलों को कोल्ड ड्राइंग प्रक्रिया से बनाया जाता है जो तैयार गाइड रेलों को अंतिम दिशा देती है और उनकी यांत्रिक विशेषताओं और सतह की विशेषताओं (खुरदुरापन) को संशोधित करती है।

ii. **बड़े आकार / चौड़ाई की सॉलिड गाइड रेल:** अर्थात विभिन्न किस्मों में टी114/बी, टी127/बी, टी125/बी और टी140/बी । इन गाइड रेलों को उनके बड़े आकार के कारण विशेष गाइड रेल कहा जाता है।

iii. **वेल्डेड होलो गाइड रेल:** इन होलो गाइड रेलों को उच्च आवर्ती वेल्डिंग प्रक्रिया या अन्य समतुल्य वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा सामान्यत: होलो गाइड रेलों के किनारों को वेल्ड करके बनाया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची में टैरिफ शीर्ष 8431 और टैरिफ मद ***8431 31 00*** "**लिफ्ट स्किप होइस्ट या स्केलेटर" और 8431 39 10** "एलीवेटर**, कन्वेयर और चल उपकरण"** के अंतर्गत अध्याय 84 में वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तु को टैरिफ मद **8431 39 00 अन्य'** के अंतर्गत भी आयातित किया जाता है। तथापि, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि किसी टैरिफ मद के अंतर्गत भी विचाराधीन उत्पाद के आयात की संभावना है। अत: विचाराधीन उत्पाद के लिए शीर्ष / टैरिफ मद केवल संकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

6. याचिकाकर्ता ने उचित तुलना के लिए विचाराधीन उत्पाद हेतु निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है।

क्र.सं.	मापदंड	प्रकार	पीसीएन कोड
1	गाइड रेल के प्रकार	सॉलिड गाइड रेल	एसजीआर
2		होलो गाइड रेल	एचजीआर

7. वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच शुरूआत के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित पीसीएन (औचित्य सहित) संबंधी अपनी टिप्पणियां यदि को हों, प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. <u>समान</u> वस्तु

8. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है और ये दोनों समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए एडी नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु

मानी चाहिए। इस प्रकार वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देश से आयातित किए जा रहे उत्पाद से प्रथमदृष्ट्या समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. **घरेलू उद्योग और स्थिति**

9. यह याचिका सवेरा इंडिया राइडिंग सिस्टम्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता की सूचना के अनुसार भारत में पीयूसी के दो और उत्पादक अर्थात एन. लिफ्टी इंजीनियर्स और नव दुर्गा स्टील कॉर्पोरेशन हैं। याचिका एन. लिफ्टी इंजीनियर्स द्वारा समर्थित हैं जिसने पीयूसी की अपनी क्षमता, उत्पादन और बिक्रियों के संबंध में मात्रात्मक सूचना उपलब्ध कराई है। याचिकाकर्ता का अकेले कुल भारतीय उत्पादन में 89 प्रतिशत हिस्सा बनता है। समर्थक के साथ याचिकाकर्ता का कुल भारतीय उत्पादन में 95 प्रतिशत हिस्सा है।

10. याचिकाकर्ता ने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से पीयूसी की मामूली मात्रा का आयात किया है। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयात उसके स्वयं के उत्पादन, बिक्री, कुल आयात और भारत में पीयूसी की मांग की दृष्टि से नगण्य हैं।

11. याचिकाकर्ता की चीन जन. गण. में संबद्ध कंपनियां हैं जो पीयूसी के विनिर्माण और बिक्री में शामिल हैं। चीन की संबद्ध कंपनियों ने भारत को पीयूसी की मामूली मात्रा का निर्यात किया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देश में संबद्ध कंपनियों की मौजूदगी के बावजूद याचिकाकर्ता फिर भी घरेलू उद्योग है क्योंकि चीन में उसके संबद्ध निर्यातकों ने पीओआई में भारत में पीयूसी के कुल आयातों के संबंध में मामूली मात्रा का निर्यात किया है। पीयूसी के आयातों का अधिकांश हिस्सा चीन से असंबद्ध उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा किया गया है।

12. याचिकाकर्ता के दावों पर विचार करते हुए और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों की मात्रा और चीन से याचिकाकर्ता के संबद्ध निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा का मूल्यांकन करने पर प्राधिकारी यह मानना उचित समझते हैं कि प्रथमदृष्ट्या याचिकाकर्ता नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।

13. रिकार्ड की सूचना से समर्थक के साथ याचिकाकर्ता का भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। तदनुसार, याचिकाकर्ता एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथा परिभाषित प्रथमदृष्ट्या घरेलू उद्योग है और याचिका प्रथमदृष्ट्या एडी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरी करती है।

घ. **संबद्ध देश**

14. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ङ. **जांच की अवधि**

15. इस जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और पीओआई की अवधियां शामिल हैं।

च. **पाटन मार्जिन की गणना**

क. **सामान्य मूल्य**

16. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(i) और एडी नियमावली के अनुबंध-i के पैरा 7 के अनुसार चीन जन. गण. के उत्पादकों का सामान्य मूल्य चीन जन. गण. में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है यदि चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाएं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडी नियमावली के अनुबंध-i के पैरा 1 से 6 के अनुसार उचित तुलना की अनुमति दें, ऐसा नहीं करने पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य एडी नियमावली के अनुबंध-i के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

17. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आंकड़ों या अन्य वैकल्पिक पद्धतियों का विकल्प इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है। अत: सामान्य मूल्य भारत में संबद्ध

वस्तु की उत्पादन लागत की सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर यथा उपलब्ध बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ मार्जिन के समायोजन के बाद परिकलित किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

18. संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम्स के आंकड़े में सूचित सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए परिकलित किया गया है। याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा और बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा और लोडिंग तथा अनलोडिंग प्रभार के लिए अन्य खर्चों हेतु कीमत समायोजन किए गए हैं।

ग. पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या दर्शाती है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और काफी अधिक है।

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप</u>

20. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की मात्रा में समग्र तथा सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से कीमत कटौती सकारात्मक रही है। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से घरेलू उद्योग की कीमत पर ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पाटित आयातों के प्रतिकूल मात्रा और कीमत प्रभाव के कारण उसके निष्पादन में क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, घरेलू बिक्री, नकद लाभ, लाभ और निवेश पर आय के संबंध में गिरावट आई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण क्षति का खतरा है जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराता है।

ज. <u>पाटनरोधी</u> जांच की शुरूआत

21. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश की मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन और विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा, और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

22. एडी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का इस जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

23. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

24. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. <u>समय सीमा</u>

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति adv11-dgtr@gov.in और consulatant-dgtr@govcontractor.in पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त एडी नियमावली के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाले या निर्यातक देश से उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूसचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

30. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए डीजीटीआर की सरकारी वेबसाइट (https://dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखने की सलाह भी दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जांच में आगे की कार्रवाई से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रपत्रों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा / बैठक कार्यकम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचना और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी नोटिस के संबंध में सूचित रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि संबद्ध जांच के सभी हितबद्ध पक्षकार संबद्ध जांच से संबंधित प्रगति और सूचना से भलिभांति अवगत रहेंगे।

31. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

32. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त पालन नहीं करने पर उत्तर / अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

33. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसमें संलग्न परिशिष्ट / अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय तथा अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

34. ''गोपनीय या अगोपनीय'' अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया

गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

36. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार कारणों का एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

37. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं ।

38. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

39. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के दावे के उचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों / उत्तर / सूचना का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें । अनुरोधों / उत्तर / सूचना के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. <u>असहयोग</u>

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तर्कसंगत अवधि या समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2024

Case No. AD (OI)-12/2024

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "T-Shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rails" originating in or exported from China PR.

F. No. 6/14/2024-DGTR.— Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "AD Rules"), Savera India Riding Systems Company Private Limited (hereinafter also referred to as the "petitioner" or "domestic industry") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), for initiation of an antidumping investigation on imports of T-Shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rails (hereinafter also referred to as the

"product under consideration" or "PUC" or "subject goods") originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the "subject country").

2. The petitioner has alleged that injury to the domestic industry is being caused due to dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country and has requested for the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

A. Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is ***T-shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rails***, which are also known as Lift Guide Rails. Lift Guide Rails are of two types i.e., Solid Guide Rails and Hollow Guide Rails. Solid Guide Rails are T-shaped Guide Rails manufactured by machining or by cold-drawing T-profiles and are used for car guide rail applications and counterweight / balancing weight guide rail applications. Hollow Guide Rails are made of formed sheet metal and can be either open profiles or closed profiles and are used for counterweight / balancing weight guide rail applications. The PUC provides a guiding structure to ensure smooth and safe travel of the elevator car and counterweight/balancing weight.

4. The scope of the PUC includes T-Shaped Elevator/Lift Guide Rails and Counterweight Guide Rails of all types and dimensions, excluding the following:

i. **Cold-Drawn Guide Rails:** These solid guide rails are manufactured through a cold-drawing process, which gives the final dimensions of the finished guide rails and modifies their mechanical properties and the surface characteristics (roughness).

ii. **Solid Guide Rails of large sizes / widths**, i.e., T114/B, T127/B, T125/B and T140/B in different variants. These guide rails are referred to as special guide rails due to their large size.

iii. **Welded Hollow Guide Rails**: These hollow guide rails are manufactured by welding the edges of the hollow guide rails normally by high frequency welding process or another equivalent welding process.

5. The product under consideration is classifiable under Chapter 84, under the tariff heading 8431 and the tariff item ***8431 31 00 "Of lifts, skip hoists or escalators" and 8431 39 10 "Of elevators, conveyors and moving equipment"*** of the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975**.** The subject goods are also imported under tariff item ***8431 39 00 Others'***. However, the petitioner has claimed that there is possibility of import of the product under consideration under any other heading / tariff item. Therefore, the tariff item for the product under consideration is only indicative and in no way binding upon the product scope.

6. The petitioner has proposed the following product control number (PCN) for the product under consideration for fair comparison:

S. No.	Parameter	Type	PCN Code
1	Type of Guide Rails	Solid Guide Rails	SGR
2		Hollow Guide Rails	HGR

7. The parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and propose PCNs (with justification), if any, within 15 days of initiation of this investigation.

B. Like article

8. The domestic industry has submitted that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and exported from the subject country and both are like articles. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the AD Rules. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the product produced by the domestic industry has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject country.

C. Domestic industry and standing

9. The petition has been filed by Savera India Riding Systems Company Private Limited. It has been claimed that as per the petitioner's information, there are two more producers of the PUC in India namely N. Liftee Engineers and Nav Durga Steel Corporation. The petition has been supported by N. Liftee Engineers, who has provided quantitative information regarding its capacity, production and sales of the PUC. The petitioner

alone constitutes 89% of the total Indian production. The share of the petitioner along with the supporter is 95% of the total Indian production.

10. The petitioner has imported a miniscule quantity of the PUC from the subject country during the POI for localizing production and facilitating product reengineering efforts. It has been claimed that the imports made by the petitioner is negligible in terms of its own production, sales, total imports and the demand of the PUC in India.

11. The petitioner has affiliated companies in China PR involved in manufacturing and selling of the PUC. The Chinese affiliated companies have exported a miniscule quantity of the PUC to India. The petitioner has claimed that despite having affiliated companies in the subject country, the petitioner still constitutes domestic industry because its affiliated exporters from China has exported miniscule quantity in relation to the total imports of the PUC in India in the POI. The significant share of the imports of the PUC are made by the unaffiliated producers/exporters from China.

12. Considering the claims of the petitioner and evaluating the volume of imports made by the petitioner and the volume of exports made by the petitioner's affiliated exporters from China, the Authority considers it appropriate to hold that *prima facie*, the petitioner constitutes domestic industry under Rule 2(b).

13. From the information on record, the petitioner along with and without the supporter, accounts for a major proportion of the total domestic production of the like article in India. Accordingly, the petitioner *prima facie* constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the AD Rules, and the petition *prima facie* satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.

D. Subject country

14. The subject country in the present investigation is China PR.

E. Period of investigation

15. The period of investigation (POI) for the investigation is from 1st January 2023 to 31st December 2023 (12 Months). The injury examination period covers the periods from 1st April 2020 to 31st March 2021, 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023 and the POI.

F. Dumping margin computation

a. Normal Value

16. The petitioner has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and Para 7 of the Annexure I to the AD Rules, the normal value of producers of China PR may be determined based on the costs or domestic selling prices prevailing in China PR only if the responding producers from China PR demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of paras 1 to 6 of Annexure-I to the AD Rules, failing which, normal value for the Chinese producers must be determined based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the AD Rules.

17. The petitioner has also claimed that the data relating to cost or price in a market economy third country or recourse to other alternative methods is not available at this stage. The normal value has been, therefore, constructed based on the best estimates of the cost of the production in India of the subject goods as available after adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profit margin.

b. Export price

18. The export price of the subject goods has been computed by considering the CIF price reported in the DG Systems data. The price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance and other expenses on account of bank charges, port expenses, inland freight and loading and unloading charges as claimed by the petitioner.

c. Dumping margin

19. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and significant in respect of the product under consideration from the subject country.

G. Allegation of Injury and Causal Link

20. Information furnished by the petitioner has been considered for assessment of injury to the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country. The volume of the subject goods from the subject country has increased in absolute as well as relative terms. The price undercutting from the subject country is positive. The landed price of the subject imports had the depressing effect on the prices of the domestic industry. The petitioner has claimed that because of the adverse volume and price effect of the dumped imports, its performance has deteriorated in respect of capacity utilization, market share,

domestic sales, cash profit, profit and return on investment. The petitioner has also claimed the threat of injury to the domestic industry due to dumped imports. There is sufficient *prima facie* evidence that the domestic industry has suffered material injury and threat of injury due to dumped imports from the subject country to justify the initiation of the anti-dumping investigation.

H. Initiation of the Anti-dumping investigation

21. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the domestic industry and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Procedure

22. The provisions stipulated in Rule 6 of the AD Rules shall be followed in this investigation.

J. Submission of information

23. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

24. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.

25. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other parties.

27. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

K. Time-limit

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consulatant-dgtr@govcontractor.in within 30 days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the AD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said AD Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

30. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR at www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://dgtr.gov.in/) to stay apprised with further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information. This will ensure that all interested parties to the subject investigation remain well aware of the progress and information pertaining to the subject investigation.

31. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the stipulated time as per this notification.

L. Submission of information on a confidential basis

32. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

33. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

34. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

35. The confidential version shall contain all information that is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information that is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

36. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

37. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

39. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. Inspection of Public File

40. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate nonconfidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

N. Non-cooperation

41. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.07.02 15:35:39 +05'30'